

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 83]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सं.-यू.-23013/16/2014-एल.डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद् द्वारा दिनांक 11.07.2014 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग - I, खण्ड - I में प्रकाशित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प में नीचे दिए गए सुधार करने हेतु निर्दिष्ट करता है, नामतः—

उक्त संकल्प में पैरा-1 में क्रम संख्या (iii) के लिए तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाए:-

(iii) उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय),
नई दिल्ली

- सदस्य-संयोजक

ए. के. सिंह, सचिव, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th March, 2016

No. U-23013/16/2014-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby directs that the following amendments shall be made in the Resolution of the Government of India, Ministry of Labour & Employment published in the Gazette of India, Extra-ordinary part-I Section-I dated 11.07.2014 namely:—

In the said Resolution for serial number (iii) in para 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely thereto:-

(iii). Dy. Chief Labour Commissioner (C),
New Delhi

- Member Convener

A. K. SINGH, Secretary, Central Advisory Contract Labour Board

1371 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.